



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 576]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 5, 2019/माघ 16, 1940

No. 576]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 5, 2019/MAGHA 16, 1940

गृह मंत्रालय

बधिसूचना

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2019

का.आ. 693(अ).—जबकि, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) व्यक्तियों एवं संगठनों की कतिपय विधिविरुद्ध गतिविधियों के और अधिक प्रभावी ढंग से निवारण तथा आतंकवादी गतिविधियों एवं उनसे संबंधित मामलों से बेहतर ढंग से निपटने के लिए लागू किया गया है;

और जबकि, उक्त अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (ड) के अनुसार 'आतंकवादी संगठन' से तात्पर्य उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में सूचीबद्ध किसी संगठन अथवा इस प्रकार सूचीबद्ध किसी ऐसे संगठन से है जो इसी नाम से कार्य कर रहा है;

और जबकि, उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में ऐसे आतंकवादी संगठनों की सूची निहित है;

और जबकि, 'तहरीक-उल-मुजाहिदीन' (जिसे इसमें इसके पश्चात् टीयूएम कहा गया है) वर्ष 1990 में अस्तित्व में आया जिसका उद्देश्य "कश्मीर की आजादी" था और यह आतंकवादी गतिविधियों के माध्यम से इस उद्देश्य की प्राप्ति में सक्रिय रूप से लगा हुआ है;

और जबकि, तहरीक-उल-मुजाहिदीन ने ग्रेनेड हमलों, हथियार छीनने की घटनाओं, हिजबुल मुजाहिदीन (एचएम), लश्कर-ए-तैय्यबा (एलईटी) इत्यादि जैसे अन्य आतंकवादी संगठनों को हाल ही में वित्तीय एवं संचार तंत्र संबंधी सहायता प्रदान करके उनका समर्थन करने जैसी विध्वंसकारी गतिविधियों के अलावा कई आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया है;

और जबकि, तहरीक-उल-मुजाहिदीन ने आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया है और यह आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है तथा भारत में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए युवाओं को कट्टरवादी बनाने और उनकी भर्ती करने में लगा हुआ है;

और जबकि, जम्मू एवं कश्मीर पुलिस द्वारा हाल ही में कई मामले दर्ज किए गए हैं जिनमें यह पाया गया है कि आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने में तहरीक-उल-मुजाहिद्दीन ने मुख्य भूमिका निभाई है तथा इसके कई काइरों को गिरफ्तार किया गया है;

और जबकि, तहरीक-उल-मुजाहिद्दीन द्वारा कश्मीरी युवाओं के लिए आतंकवादी प्रशिक्षण केंद्र चलाए जा रहे हैं तथा इसके द्वारा जम्मू एवं कश्मीर से और अधिक युवाओं की भर्ती किए जाने की संभावना है;

और जबकि, तहरीक-उल-मुजाहिद्दीन के सदस्यों को विदेश स्थित उनके आकाओं से वित्तीय और सभार संबंधी सहायता प्राप्त हो रही है;

और जबकि, केंद्रीय सरकार का यह मानना है कि तहरीक-उल-मुजाहिद्दीन आतंकवाद में संलिप्त है क्योंकि इसने भारत में विभिन्न आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया है तथा इनमें भाग लिया है;

इसलिए अब, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में निम्नलिखित अतिरिक्त संशोधन करती है नामतः-

उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में, क्रम संख्या 40 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के उपरांत, निम्नलिखित क्रम संख्या एवं प्रविष्टियों को अंतर्विष्ट किया जाएगा:-

“41 तहरीक-उल-मुजाहिद्दीन तथा इसके सभी रूप”

[फा. सं. 11034/19/2018-सीटी-1]

पीयूष गोयल, संयुक्त सचिव

नोट : विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की प्रथम अनुसूची में पिछली बार भारत सरकार की दिनांक 26 दिसम्बर, 2018 की अधिसूचना संख्या का.आ. संख्या 6313 (अ) के तहत संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 5th February, 2019

S.O. 693(E).—Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And whereas, as per clause (m) of sub-section (1) of section 2 of the said Act, ‘terrorist organisation’ means an organisation listed in the First Schedule to the said Act or an organisation operating under the same name as an organisation so listed;

And whereas, the First Schedule to the said Act contains the list of such terrorist organisations;

And whereas, the ‘Tehreek-ul-Mujahideen’ (hereinafter referred as TuM) came into existence in the year 1990 with the objective of “liberation of Kashmir” and has been actively pursuing the same by way of acts of terror;

And whereas, the TuM carried out a number of terrorist attacks besides subversive acts, namely, grenade attacks, weapons snatching incidents, supporting other terrorist outfits, such as Hizb-Ul-Mujahideen (HM), Lashkar-e-Taiba (LeT), etc. in terms of financial and logistic support in the recent past;

And whereas, the TuM has committed acts of terrorism and promoting acts of terrorism and has been engaged in radicalisation and recruitment of youth for terrorist activities in India;

And whereas, a number of cases have been registered by the Jammu and Kashmir Police in the recent past, in which it is found that TuM has played a major role in commission of terrorist acts and a number of its cadres have been arrested;

And whereas, TuM is running terrorist training centres for Kashmiri youth and is likely to recruit more youth from the Jammu and Kashmir;

And whereas, the members of TuM are getting financial and logistic support from their handlers based abroad;

And whereas, the Central Government believes that the 'Tehreek-ul-Mujahideen (TuM)' is involved in terrorism as it has committed and participated in various acts of terrorism in India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following further amendments in the First Schedule to the said Act, namely:-

In the First Schedule to the said Act, after serial number 40 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"41. Tehreek-ul-Mujahideen (TuM) and all its manifestations."

[F. No. 11034/19/2018-CT-I]

PIYUSH GOYAL, Jt. Secy.

Note : The First Schedule to the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 was last amended *vide* notification of the Government of India number S.O. 6313(E), dated the 26th December, 2018.